प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 20.04.2025

जनपद सोनभद्र

सोनभद्र पुलिस का अनवरत प्रहार, एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना पिपरी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 अन्तर्रजनपदीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, एक अदद कार से कुल 95 किग्रा मादक पदार्थ गांजा (अनुमानित कीमत 23 लाख 50 हजार रुपया) बरामद-

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणासी श्री पीयूष मोर्डिया, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल पिरिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध सोनभद्र पुलिस के निरन्तर प्रहार की कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री अमित कुमार के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना पिपरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.04.2025 को समय 15.40 बजे मुर्धवा से रनटोला जाने वाले रास्ते पर लगभग 01 किमी आगे पुलिया के पास एक इनोवा क्रिस्टा वाहन संख्या UP85 BF8181 से (संभलपुर) उड़ीसा प्रान्त से गांजा लोड़ करके मथुरा ले जा रहे कुल 95 किग्रा अवैध गांजा (अनुमानित कीमत 23 लाख 50 हजार) के साथ 03 नफर अन्तर्रजनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया । इस बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना पिपरी पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0-61/2025 धारा-8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण पूछताछ- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग सौरभ सिंह पुत्र अज्ञात निवासी लक्ष्मीनगर मथुरा, दिनेश उर्फ सीओ पुत्र अज्ञात निवासी गौरई थाना गोरई जनपद अलीगढ़ व देवेन्द्र उर्फ देव चौधरी पुत्र भूरी सिंह निवासी रामपुर बकटरा थाना एगलास जनपद अलीगढ़ के कहने पर पैसे के लालच में आकर उड़ीसा संभलपुर से गांजा लेने गये थे । उड़ीसा संभलपुर में हम लोग स्वदीन नाम के व्यक्ति से मिले थे तथा संभलपुर में ही एक होटल में रुके थे। खर्चे के लिए जो भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो हमलोग स्वदीन से ले लेते थे। स्वादीन को गांजा व अन्य खर्चों के लिए QR code से सौरभ सिंह एवं देवेन्द्र के द्वारा पैसा भेजा गया था। दिनांक 18.04.2025 को सुबह 08.30 बजे स्वादीन हम लोगों से इनोवा क्रिस्टा गाड़ी मांगकर ले गया तथा शाम को लगभग 07.00 बजे गाड़ी में गांजा भरकर दे दिया था। हम लोग कुछ समय बाद संभलपुर उड़ीसा से गांजा लेकर मथुरा के लिए निकल लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. गौरव कुमार पुत्र स्व0 कप्तान सिंह, निवासी अजय बिहार रौची बाँगर, थाना रिफाइनरी, जनपद मथुरा उम्र करीब 26 वर्ष।
2. सोनू माथुर पुत्र श्याम सिंह, निवासी अजय बिहार रौची बाँगर, थाना रिफाइनरी, जनपद मथुरा उम्र करीब 27 वर्ष।
3. दिनेश उर्फ देव चौधरी पुत्र ओमवीर सिंह, निवासी बुर्ज दाता राम इन्दावली बलदेव मथुरा, थाना बलदेव, जनपद मथुरा उम्र करीब 21 वर्ष ।

<u>अभियुक्त गौरव कुमार का अपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0-58/2020 धारा 395,397,412,34,120बी भादवि, थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा।
2. मु0अ0सं0-336/2020 धारा 3(2) गैंगेस्टर एक्ट थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. 05 बोरियों में कुल वजन 95 किलोग्राम नाजायज गांजा।
2. गांजा परिवहन में इस्तेमाल वाहन इनोवा क्रिस्टा संख्या UP85 BF8181 बरामद।
3. चार अदद मोबाइल फोन।
4. जामा तलाशी के 3610/- रुपये बरामद।

<u>बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः</u>

1. प्र0नि0 नागेश कुमार सिंह थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
2. SOG/सर्विलांस सेल प्रभारी बृजेश सिंह जनपद सोनभद्र।
3. चौ0प्र0 श्री राजेश जी चौबे चौकी रेनुकूट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 राजेश कुमार पासवान थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 नीरज सिंह थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
6. हे0का0 महेश कुमार सरोज थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
7. हे0का0 धनंजय चौधरी चौकी रेनुकूट थाना पिपरी जनद सोनभद्र।
8. हे0का0 सौरभ कुमार राय सर्विलांस जनपद सोनभद्र।
9. का0 अजीत यादव SOG टीम जनपद सोनभद्र।
10. का0 अजीत कुमार SOG टीम जनपद सोनभद्र।
11. का0 मनीष कुमार तिवारी थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।
12. का0 रवि कुमार सिंह थाना पिपरी जनपद सोनभद्र।